1843

कार्यालय परियोजना संचालक

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
प्लाट नं. 27–28, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स. भोपाल
website:www.mp.gov.in/pwdmp email:-pdpiubho@mp.gov.in
Phone- 0755-2551341

क्र.एफ /2016/पुन. प्राक्क./निर्देश/कार्य–1/पीडी/ भोपाल, दिनांक 18/03/201

प्रति,

समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मध्यप्रदेश।

विषय :– भवनों के पुनरीक्षित प्राक्कलन प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण होने पर तत्काल भेजने क संबंध में।

आयुष विभाग के कार्यों के लिए परियोजना परीक्षण समिति की दिनांक 16/03/2016 क सम्पन्न बैठक में वर्ष 2010 में स्वीकृत हुए आयुष विभाग के अस्पताल भवनों के निर्माण कार्यों व पुनरीक्षित प्रस्ताव विलम्ब से वर्ष 2015 में भेजने पर मुख्य सचिव महोदय ने गंभीर चिंता व्यक्त की एवं निर्देश दिया गया है कि सभी भवनों के पुनरीक्षित प्रस्ताव भवन कार्य प्लिंथ लेवल तक पूर्ण हो के तत्काल पश्चात ही स्वीकृतकर्ता सक्षम अधिकारी को भेज दिया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के पालन में आदेशित किया जाता है कि किसी भी विभाग क भवन निर्माण कार्य प्लिंथ लेवल तक पूर्ण होने के तत्काल पश्चात पुनरीक्षित प्राक्कलन, अग आवश्यक हो तो, एक माह की समय–सीमा में स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजा जाये। पुनरीक्षि प्राक्कलन समय सीमा में न भेजने वाले त्रुटिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरप नियम–1965 के तहत कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस अनिवार्यत देना एवं उत्तर प्राप्तकर, विवेचना कर, अनुशंसा समेत सिविल सेवा आचरण नियम–1966 के तह त्रुटिकर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने का दायित्व अतिरिक्त परियोजन संचालक, पीआईयू, को सौंपा जाता है। अगर इस तरह के प्राक्कलन मूल रूप से कनसल्टेंट द्वार बनाया गया है एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने में कनसल्टेंट द्वारा विलम्ब किया जा रहा है तो ऐ प्रकरण में कनसल्टेंट को भी विलम्ब के लिए कारण बताओ सूचना देने एवं प्राप्त उत्तर की विवेचन कर निलम्बन की कार्यवाही की अनुशंसा मुख्य वास्तुविद को भेजने का दायित्व भी अतिरिक परियोजना संचालक का होगा।

यह भलीभांति टीप कर लिया जाये कि उक्तानुसार कार्यवाही न करने पर पुनरीक्षित प्राक्कल विलम्ब से भेजने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त परियोजना संचालक का माना जायेगा।

सहपत्र :– शून्य।

हस्ता –
(विजय सिंह वर्मा)
परियोजना संचालक
लोनिवि, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भोपाल

IT cell
upload
21/3